# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

366/2013

1 मोहम्मद फारूक पुत्र स्व. मोहम्मद यासीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

2 मोहम्मद साजिद पुत्र स्व. मोहम्मद यासीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

3 मोहम्मद साबिर पुत्र स्व. मोहम्मद यासीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

4 आमीना पुत्री स्व. मोहम्मद यासीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

वादीगण

**बनाम**

1 स्व. फकीर मोहम्मद पुत्र स्व. ईदू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/1 बानो पत्नी स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/2 मोहम्मद सरीफ पुत्र स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/3 उस्मान गनी पुत्र स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/4 मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/5 इमरान पुत्र स्व. फकीर मोहम्म्द जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/6 जाहिदा पुत्री स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/7 जुलेखा पुत्री स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

1/8 रूबिना पुत्री स्व. फकीर मोहम्मद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

2 जुबैदा पत्नी निजामुदीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी व्योपारी मौहल्ला सीकर तह. व जिला सीकर

3 अकबर अली पुत्र निजामुदीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी व्योपारी मौहल्ला सीकर तह. व जिला सीकर

4 मोहम्मद उमर पुत्र निजामुदीन जाति व्यापारी (कसाई) निवासी व्योपारी मौहल्ला सीकर तह. व जिला सीकर

5 आमीन पुत्र स्व. अहमद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6 स्व. कालू पुत्र स्व. अहमद जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6/1 बिस्मिला बेवाह स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6/2 जाबिद पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6/3 अयूब पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6/4 तैयब हूसैन पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6/5 आबिद पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

6/6 शाहरूख पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

लगातार......2 पर

उपखण्ड अधिकारी

**बीदासर**

Scanned by CamScanner

6/7 आसिफ पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू
6/8 कयामूदीन पुत्र स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू
6/9 जुलेखा पुत्री स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू
6/10 आमीना पुत्री स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू
6/11 प्रवीना पुत्री स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू
6/12 फरजाना पुत्री स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू
6/13 तमन्ना पुत्री स्व. कालू जाति व्यापारी (कसाई) निवासी बीदासर तह. बीदासर चूरू

7 स्व. हाजरा पुत्री स्व. अहमद पत्नी इमामुदीन जाति मुसलमान व्योपारी (कसाई) व्योपारीयों का मौहल्ला लाड़नू तहसील लाडनू जिला नागौर

7/1 जाहिदा पुत्री स्व. हाजरा पत्नी मोहम्मद रफीक जाति व्योपारी कसाई निवासीनी जगमालपुरा रोड़ सीकर तह. व जिला सीकर

7/2 रफीक पुत्र स्व. हाजरा जाति व्योपारी कसाई निवासी तेली रोड़, हरीजनों का मौहल्ला लाडनू तहसील लाड़नू जिला नागौर

7/3 नजमा पुत्री स्व. हाजरा पत्नी मामदीन जाति व्योपारी कसाई निवासीनी सिंगरावट जिला सीकर

8 माफीया पुत्री स्व. अहमद पत्नी मुस्ताक जाति व्योपारी कसाई निवासीनी टोडरमलजी के कूए के पास, श्रीडूॅगरगढ़ जिला बीकानेर

9 सफीया पत्नी स्व. शमसु जाति व्योपारी कसाई निवासीनी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
10 युसुफ पुत्र स्व. शमसु जाति व्योपारी कसाई निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
11 स्व. भूरी पत्नी आसूराम जाति जाट निवासीनी ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
12 भीकाराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
13 लिछमणराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
14 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा बीदासर जिला चूरू
15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय बीदासर चूरू
16 कलसुम पुत्री स्व. शमसू पत्नी अयूब जाति व्योपारी कसाई निवासीनी राजलदेसर तह. रतनगढ़ चूरू
17 नजमा पुत्री स्व. शमसू पतनी मो. फारूक जाति व्योपारी कसाई निवासीनी नेछवा जिला सीकर

प्रतिवादीगण

**दावा कृषि भूमि की खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ती हेतू अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"**

**उपस्थित :–**

1 वादीगण – श्री रघुवीर भांमू एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8 व 6/1 से 6/5, 6/8 मो. शाहिद एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 16, 17 श्री मो. आमीन शेख एडवोकेट
4 प्रतिवादी – पैरोकार राज.

लगातार.......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

# निर्णय

दिनांक :– 12/11/2021

...के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 ता 10 के संयुक्त ...तेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत वर्तमान खसरा नम्बर 1332 तादादी 7–00 बीघा, खसरा नम्बर 1333 तादादी 23–11 बीघा, खसरा नम्बर 1382 तादादी 1–00 बीघा कुल तादादी 31–11 बीघा वाके रोही बीदासर व खसरा नम्बर 279 तादादी 21–00 बीघा, खसरा नम्बर 405 तादादी 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 1309 तादादी 24–01 बीघा कुल तादादी 47–01 बीघा वाके रोही कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का 1/18 हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण सख्या 5 ता 8 का 4/18 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सख्या 9 व 10 का 1/3 हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 व 11 ता 13 के सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 406 तादादी 12–00 बीघा, खसरा नम्बर 407 तादादी 15–10 बीघा, खसरा नम्बर 706 तादादी 8–03 बीघा, खसरा नम्बर 707 तादादी 8–00 बीघा कुल तादादी 43–13 बीघा वाके रोही धोरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादीगण सख्या 5 ता 8 का 4/12 हिस्सा व प्रतिवादीगण सख्या 11 ता 13 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 सयुक्त परिवार विभक्त हूए काफी समय हो गया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 अलग अलग रहते है तथा उनका खान पान लेन देन सब अलग अलग है वादगत खेतों को भी आपसी सहमति व सुविधा के मुताबिक बाहमी बन्टवारा के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 में बांट रखा है मुताबिक बाहमी बन्टवारा के वादीगण के हिस्सा पांती व कब्जा काश्त वादगत खेत खसरा नम्बर 1332 तादादी 7–00 बीघा मिन दक्षिणी तरफ की 1–15 बीघा भूमि वाके रोही बीदासर तथा खसरा नम्बर 279 तादादी 21–00 मिन में से 2–12 बीघा दक्षिणी तरफ की वाके रोही कालेरां की ढ़ाणी व खसरा नम्बर 407 तादादी 15–10 बीघा मिन उतरी तरफ की 3–13 बीघा वाके रोही धोरां की ढ़ाणी आई हुई है जिसे वादीगण अकेले काश्त करते आ रहा है शेष भूमि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 के हिस्सा पांती में आई हुई है जिसे वोह काश्त करते है। वादगत खेतों के राजस्व रेकार्ड में सयुक्त खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण को कई प्रकार की कानूनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है वादीगण अपने हिस्सा पांती व कब्जा काश्त के खेतों की भूमि सम्बन्ध में अन्य सहखातेदार प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 की सहमति के बिना किसी प्रकार का सरकारी लाभ हासिल नहीं कर सकते क्योकि उपरोक्त वर्णित विवादित खसरा नम्बरों की कृषि भूमि का विधिवत यानि मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बन्टवारा नहीं हुआ है इसलिए वादीगण

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्सा पांती की भूमि का विधिवत मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार बन्टवारा करवा कर राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी अंकित करावे तथा लगान का विभाजन करावें जिसके वोह कानूनी अधिकारी है क्योकित वादगत खेत वादीगण के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के है तथा वादीगण का वाके रोही बीदासर में स्थित खेतों में 1/18 हिस्सा तथा वाके रोही कालेंरा की ढ़ाणी में स्थित खेतों में 1/18 हिस्सा एवं वाके रोही धोरा की ढ़ाणी में स्थित खेतों में 1/12 हिस्सा के रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। वादीगण शान्तीप्रिय कानून में विश्वास रखने वाले गरीब कृषि पेशा व्यक्ति है जबकी प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 ताकतवर पैसे वाले बलशाली व्यक्ति है तथा सख्या बल में भी अधिक है जो वादीगण के शान्तीपूर्ण कब्जा काश्त उपयोग उपभोग एवं स्वामित्व अधिकारों में दखलअन्दाजी पैदा करते है तथा वादीगण को ऐलानिया तौर पर धमकीया भी देते है कि हमे तुम्हारा हिस्सा पांती के खेतों से जबरन बैदखल कर देगे एवं ताकत के बल पर हम कब्जा कर लेगे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 का ताकत के बल पर मुकाबला करने में असमर्थ है इसी कारण प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करवाये व वादीगण के हिस्से पांती एवं कब्जा काश्त के खेतों में जरबन ताकत के बल पर प्रवेश नही करे तथा ना ही वादीगण को उनके हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बैदखल करें तथा ना ही वादीगण को उनके हिस्सा पांती कब्जा काश्त की भूमि को काश्त करने से, फसल लाटने, प्राकृतिक पैदावार प्राप्त करने से रोके नहीं तथा ना ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। वादीगण ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 से वादगत सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाने एवं वादीगण के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं देने बाबत आपसी तौर पर निवेदन किया तो पहले वो टालटोल करते रहे लेकिन अन्तिम बार दिनांक 16/09/2007 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही दावे का कारण है तथा वादीगण को वादाधार वादगत खेतों के रेकार्डेड संयुक्त खातेदार कृषक होने से प्राप्त है आदि आदि प्रस्तुत कर अनुतोश चाहा कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत वर्तमान खसरा नम्बर 1332 तादादी 7–00 बीघा, खसरा नम्बर 1333 तादादी 23–11 बीघा, खसरा नम्बर 1382 तादादी 1–00 बीघा वाके रोही बीदासर तथा खसरा नम्बर 279 तादादी 21–00 बीघा, खसरा नम्बर 405 तादादी 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 1309 तादादी 24–01 बीघा वाके रोही कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदसर में स्थित है जिसमें वादीगण 1/18 हिस्सा तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 8 व 11 ता 13 के सयुक्त खातेदारी के कब्जा काश्त के खेत वर्तमान खसरा नम्बर 406 तादादी 12–00 बीघा, खसरा नम्बर 407 तादादी 15–10 बीघा, खसरा नम्बर 706 तादादी 8–03 बीघा, खसरा नम्बर 707 तादादी 8–00 बीघा वाके रोही धोरां

लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

स्थित है जिसमें वादीगण का 1/12 हिस्सा है उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरों की भूमि में का हिस्सा की भूमि का विधिवत मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर लगान का भाजन किया जावे, विभाजन में वादीगण के हिस्सा पांती में दावा की मद सख्या 2 में वर्णितानुसार खेत रखे जावे। प्रतिवादीगण सख्या 1 से 13 को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावे कि वो वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेतों में जबरन ताकत के बल पर प्रवेश न करें तथा ना ही वादीगण को उनके हिस्सा पांती व कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करें तथा ना ही वादीगण को उनकी भूमि को काश्त करने से रोके ना फसल लाटने से रोके आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 5, 6 की और से श्री फूसाराम चौधरी ने तथा प्रतिवादी सख्या 1, 2, 3, 4 व 9 की और से श्री औमप्रकाश घोटिया ने तथा प्रतिवादी स. 11, 12, 13 की और से श्री भंवरलाल कुचेरीया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 1, 3, 10 तरफ से जवाब दावा दिनांक 22/05/2008 को प्रस्तुंत किया गया। प्रतिवादी सख्या 11, 12, 13 की और से दिनांक 22/05/2208 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सख्या 5, 6, 7, 8 की और से श्री देवेन्द्रसिंह द्वारा वकालतनामा, जवाब दावा मय केास सूट प्रस्तुत। दौराने दावा प्रतिवादी सख्या 1 फकीर मोहम्मद का व प्रतिवादी स. 6 कालू का व प्रतिवादी स. 7 हाजरा का व प्रतिवादी स. 11 भूरी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जा चुका है। प्रतिवादी सख्या 14 की तरफ से कोई हाजिर नहीं आने के कारण प्रतिवादी स. 14 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व अन्य प्रतिवादीगणों की और से उक्त दावा का जवाब पेश किया है लेकिन उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है इसलिए जवाब दावा को पढ़ा जाना उचित नहीं है, अन्य किसी उपस्थित प्रतिवादीगणों की और से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं है इसलिए उक्त वाद पत्र में तनकीयात कायम की जानी आवश्यक नहीं है। उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा भी पेश किया जा चुका है, जिसमें लोक अदालत की भावना से पक्षकारों का मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। साक्ष्य वादी की और से वादी मोहम्मद साजिद के बयान पी.डब्ल्यू. –1 दर्ज करवाये गये व प्रतिवादीगण की और से डी. डब्ल्यू.–1 अयूब, डी. डब्ल्यू. –2 मोहम्मद सरीफ के बयान लेख बद्ध करवाये गये अन्य किसी और की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं है वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नक्शा एक्स प्रदर्श–1, जमाबन्दी प्रदर्श–2, नक्शा एक्स प्रदर्श–3, जमाबन्दी प्रदर्श–4, नक्शा एक्स प्रदर्श–5, जमाबन्दी प्रदर्श–6 पेश किये गये है। प्रतिवादी स. 14 का रहन चुकता होने से वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार.....6 पर

Scanned by CamScanner

वकुलाय फरीकेन की आज कैम्प कोर्ट लोक अदालत ढ़ाणी कालेरां में सुनी गई जिसमें वकुलाय मुताबिक राजीनामा हमारा दावा डिकी किया जावे।

पत्रावली व वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी व पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व प्रशासन गॉवों के संग कैम्प कोर्ट ढ़ाणी कालेरां में उपस्थित मजमे आम से मौखिक वार्ता के मुताबिक व प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–6 का परीसीलन किया, जिससे बखूबी प्रमाणित है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसमें पक्षकार रेकार्डेड खातेदार है मुताबिक राजीनामा रोही ग्राम कालेरां की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 279 रकबा 21–00 बीघा में से उतरी तरफ की भूमि तादादी 11–00 बीघा वादीगण के हक व हिस्सा में ब.हि.ब तथा खेत खसरा नम्बर 1309 रकबा 24–01 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 1 स्व. फकीर मोहम्मद के वारिसान 1/1 ता 1/8 के हिस्सा पांती में ब. हि. ब. रखी गई है व रोही धोरां की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 406, 407, 706, 707 कुल रकबा 43–13 बीघा में से दक्षिणी तरफ की 1/2 यानि 21–16.50 बीघा प्रतिवादी सख्या 12, 13 के हक व हिस्सा में ब.हि.ब रहेगी व उतरादी पाखी की 1/2 हिस्सा यानि 21–16.50 बीघा में से उतरी पूर्वी कोने की भूमि तादादी 10–18 बीघा प्रतिवादी सख्या 6 स्व. कालू के वारिसान वर्तमान प्रतिवादी स. 6/1 ता 6/13 के हिस्सा पांती में ब.हि.ब रहेगी व रोही बीदासर के खेत खसरा नम्बर 1332 व 1382 कुल रकबा 8–00 बीघा में से उतरी तरफ की 2–00 बीघा दोनो खसरो में से पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक वादीगण के हक हिस्सा में रहेगी बाकी भूमि 6–00 बीघा प्रतिवादी सख्या 6 स्व. कालू के वारिसान प्रतिवादी सख्या 6/1 ता 6/13 के हिस्सा पांती में ब. हि. ब. रहेगी व खसरा नम्र 1333 रकबा 23–11 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी सख्या 9, 10 व 16, 17 के हिस्सा पांती में ब.हि.ब रहेगी। अन्य भूमि सम्पतियो में प्रतिवादी सख्या 9, 10, 16, 17 का कोई हक हिस्सा नहीं होगा तथा रोही धोरा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर नम्बर 406, 407, 706, 707 कुल रकबा 43–13 में से बाकी भूमि तादादी 10–18.50 बीघा तथा कालेरा ढ़ाणी के खसरा नम्बर 279 की बाकी 10–00 बीघा भूमि दक्षिणी तरफ वाली में प्रतिवादी स. 2, 3, 4, 5, 8 के हिस्सा पांती में आनुपातिक वर्तमान हिस्सा के रहेगी। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त एवं विभाजन किया जाना उचित है।

## आदेश

मुताबिक राजीनामा लोक अदालत की भावना से वादीगण का वाद अन्तिम रूप से इस प्रकार डिकी किया जाता है कि रोही ग्राम कालेरां की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 279 रकबा 21–00 बीघा में से उतरी तरफ की भूमि तादादी 11–00 बीघा वादीगण के हक व हिस्सा में ब.हि.ब तथा खेत खसरा नम्बर 1309 रकबा 24–01 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 1 स्व. फकीर मोहम्मद के वारिसान 1/1 ता 1/8 के हिस्सा पांती में ब.

लगातार....7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी ... बीदासर जिला-चूरू

गई है व रोही धोरां की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 406, 407, 706, 707 कुल रकबा 43–13 में से दक्षिणी तरफ की 1/2 यानि 21–16.50 बीघा प्रतिवादी सख्या 12, 13 के हक व हिस्सा में ब.हि.ब रहेगी व उतरादी पाखी की 1/2 हिस्सा यानि 21–16.50 बीघा में से उतरी पूर्वी कोने की भूमि तादादी 10–18 बीघा प्रतिवादी सख्या 6 स्व. कालू के वारिसान वर्तमान प्रतिवादी स. 6/1 ता 6/13 के हिस्सा पांती में ब.हि.ब रहेगी व रोही बीदासर के खेत खसरा नम्बर 1332 व 1382 कुल रकबा 8–00 बीघा में से उतरी तरफ की 2–00 बीघा यानि खसरा नम्बर 1332 में से उतरी पाखी की 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 1382 में से उतरी पाखी की 0–10 बीघा इस प्रकार कुल 2–00 बीघा दोनो खसरो में से पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक वादीगण के हक हिस्सा में रहेगी बाकी भूमि 6–00 बीघा प्रतिवादी सख्या 6 स्व. कालू के वारिसान प्रतिवादी सख्या 6/1 ता 6/13 के हिस्सा पांती में ब. हि. ब. रहेगी व खसरा नम्र 1333 रकबा 23–11 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी सख्या 9, 10 व 16, 17 के हिस्सा पांती में ब.हि.ब रहेगी। अन्य भूमि सम्पतियो में प्रतिवादी सख्या 9, 10, 16, 17 का कोई हक हिस्सा नहीं होगा तथा रोही धोरा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर नम्बर 406, 407, 706, 707 कुल रकबा 43–13 में से बाकी भूमि तादादी 10–18.50 बीघा तथा कालेरा ढ़ाणी के खसरा नम्बर 279 की बाकी 10–00 बीघा भूमि दक्षिणी तरफ वाली में प्रतिवादी स. 2, 3, 4, 5, 8 के हिस्सा पांती में आनुपातिक वर्तमान हिस्सा के रहेगी। इसी प्रकार विभाजन किया जाकर हिस्सा पांती अनुसार लगान कायम किया जावे इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा में तरमीम की जावे। अन्तिम डिकी जारी हो, अन्तिम डिकी की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2021 को प्रशासन गॉवों के संग कैम्प कोर्ट कालेरां की ढ़ाणी में मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला

Scanned by CamScanner